क्रम संख्या–104

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 जुलाई, 2007 ई0
आषाढ़ 25, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1109/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007
देहरादून, 16 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम सं0 03, सन् 2007 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2007)

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) का प्रतिस्थापन

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(4)(1)(क)–"इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं या परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिग सन्तान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता–पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तराखण्ड में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है।"

मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2) (घ) का संशोधन एवं लोप

3–(क) मूल अधिनियम के हिंदी पाठ की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) में उल्लिखित शब्द "नक्शा" को हटा दिया जायेगा।

(ख) मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) का लोप कर दिया जायेगा।

निरसन एवं अपवाद

4–(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 03 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 13, 2007.

No. 1109/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, July 16, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT NO. 03 OF 2007)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttarakhand to control the uncontrolled sale and purchase of agricultural land in the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows :--

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of sub-section (4) (1) (a) of section 154 in the principal Act

2. In place of existing sub-section (4) (1) (a) of section 154 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (hereinafter referred to as principal Act) the following sub-section shall be substituted, namely :--

(4)(1)(a)--Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, "any person for his own or on behalf of his family (which means husband, his wife, minor children, unmarried sons, unmarried daughters and dependent parents) even though he is not a tenure holder under section 129 or the owner of any immovable property in Uttarakhand, may purchase land not exceeding 250 sq. mts. for residential purpose in his lifetime without the permission".

Amendment and Omission of sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the principal Act

3. (a) In sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the Hindi version of the principal Act, the word "Naksha" shall be omitted.

(b) Sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the principal Act shall be omitted.

Repeal and Savings

4. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as mentioned by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done to taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 28 विधायी / 336–2007–100+400 (कम्प्यूटर / रीजियो)।